झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

पंचम् (बजट) सत्र

वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 24 फाल्गुन 1942 (श0) / 15 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
अ0सं0 क"	120–अ0सू0–39	श्री दीपक बिरूवा,	परीक्षाफल प्रकाशित करना	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.02.2021

नोट :– "क"– 120, दिनांक–08.03.2021 को सदन द्वारा दिनांक–15.03.2021 के लिए स्थगित।

रॉची।
दिनांक–15 मार्च,2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–01/2021– 1304 /वि0स0,रांची,दिनांक– 13/3/21

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

12/03/2021

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉची।

ज्ञाप संख्य—झा0वि0स0 प्रश्न–01/2021–1304/वि0स0,रांची,दिनांक–13/3/21

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय, झारखण्ड विधान–सभा, रांची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

12/03/2021

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या– –झा0वि0स0 प्रश्न–01/2021–1304/वि0स0,रांची,दिनांक–13/3/21

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

12/03/2021

उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

12/03/2021

राय/

सत्यमेव जयते

पंचम

झारखण्ड विधान-सभा

पंचम् (बजट) सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, दिनांक- 24 फाल्गुन, 1942 (श0) / 15 मार्च, 2021 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-01 (एक)

(1) :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 01

....

कुल योग- 01

श्री दीपक बिरुवा मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 39 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि प्रथम सीमित उप–समाहर्त्ता परीक्षा, 2005, विज्ञापन सं0–05/2005 का प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक–03.01.2020 को आयोजित की गई थी;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि 7 माह बीत जाने के बाद भी परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुई है;	स्वीकारात्मक।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 (विज्ञापन संख्या 05/2005) की परीक्षा दिनांक 03.01.2020 को आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजन के पश्चात् उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन प्रारंभ किया गया था परन्तु Govid-19 के प्रसार के पश्चात् लॉकडाउन लग जाने के कारण मूल्यांकन का कार्य तत्काल स्थगित कर देना पड़ा था। लॉकडाउन में ढील के पश्चात् मूल्यांकन का कार्य संपन्न करा लिया गया है। फलतः परीक्षाफल शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–02/2021 का0 1387 /राँची दिनांक– 03 मार्च, 2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 248 दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
पंचम् (बजट)– सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 24 फाल्गुन, 1942 [श0] को 15 मार्च, 2021 [ई0] झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
165	अ0सू0– 10	श्री बिरंची नारायण	राजकीय भाषा का दर्जा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.02.2021
166	अ0सू0– 80	श्री दीपक बिरूवा	नियुक्ति हेतु विचार करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021
167	अ0सू0– 77	श्री राजेश कच्छप	महिला आरक्षी की प्रोन्नति।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.2021
168	अ0सू0– 66	श्री कमलेश कु0 सिंह	सार्वजनिक अवकाश देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05.03.2021
169	अ0सू0– 74	श्री सरयू राय	कार्रवाई करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.2021
170	अ0सू0– 94	सुश्री अम्बा प्रसाद	पदसोपानों का निर्माण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.03.2021
171	अ0सू0– 86	डॉ0 लम्बोदर महतो	प्रमाण पत्र निर्गत करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021

01.	02.	03.	04.	05.	06
172	अ0सू0– 45	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	सिंगल विन्डो सिस्टम बनाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	26.02.2021
173	अ0सू0– 61	श्री प्रदीप यादव	बाल तस्करी पर रोक लगाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2021
174–	अ0सू0– 69	श्रीमती ममता देवी	जनगणना में भाषा कोड अंकित कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05.03.2021
175	अ0सू0– 75	श्री भूषण बाड़ा	सेवा स्थायी के लिए विचार।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07.03.2021
176	अ0सू0– 68	श्री विनोद कुमार सिंह	नियोजन नीति बनाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05.03.2021
177	अ0सू0– 71	डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता	आयोग का गठन करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05.03.2021
178	अ0सू0– 43	श्री भानु प्रताप शाही	सरकारी नौकरी में आरक्षण	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	26.02.2021
179	अ0सू0– 57	श्री विनोद कु0 सिंह	नियुक्ति पत्र देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	02.03.2021
180	अ0सू0– 17	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	सरकारी नौकरी देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.03.2021
181	अ0सू0– 73	श्री राज सिन्हा	आयोग का पुनर्गठन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	07.03.2021
182	अ0सू0– 58	श्री सुदिव्य कुमार	परिवहन भत्ता का भुगतान करना।	योजना–सह–वित्त	02.03.2021
183	अ0सू0– 78	श्री अनन्त कु0 ओझा	केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.03.2021
184–	अ0सू0– 72	श्री अनंत कुमार ओझा	सीमांकन सर्वे कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07.03.2021
185	अ0सू0– 76	श्री सुदेश कुमार महतो	बेरोजगारी भत्ता देना।	योजना–सह–वित्त	07.03.2021
186	अ0सू0– 88	डॉ0 लम्बोदर महतो	अनुसूचित जाति में शामिल करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.03.2021
187	अ0सू0– 07	श्री बिरंची नारायण	सी0बी0आई0 से जाँच कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.02.2021

कृ0पृ0उ0

* 172. पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित।

ф 175 - योजना-सह-वित्त विभाग में स्थानांतरित।

177. अनु. जनजाति, अनु. जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित।

* 185. - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06
188	अ0सू0– 82	श्री बसंत सोरेन	मुआवजा राशि का भूगतान।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.03.2021
189	अ0सू0– 63	श्री प्रदीप यादव	कानून बनाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2021
190	अ0सू0– 48	श्री सुदिव्य कुमार	पुरानी पेंशन योजना लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	26.02.2021
191	अ0सू0– 87	श्री चन्द्रेश्वर प्र0 सिंह	द्वितीय मेघा सूची प्रकाशित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.03.2021
192	अ0सू0– 95	श्री केदार हजरा	पदाधिकारियों का बेसिक पे–ग्रेड बढाना।	योजना–सह–वित्त	10.03.2021
193	अ0सू0– 40	श्री भानु प्रताप शाही	उप राजधानी बनाना।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय	26.02.2021
194	अ0सू0– 67	श्रीमती ममता देवी	आरक्षण का लाभ देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05.03.2021

रॉंची,
दिनांक– 15 मार्च, 2021

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या– ज्ञा0वि0स0 प्रश्न– 01/2021 1305 /वि0स0, रांची, दिनांक–13/3/21

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2021
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या– ज्ञा0वि0स0 प्रश्न– 01/2021 1305 /वि0स0, रांची, दिनांक–13/3/21

प्रतिः– मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2021
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या– ज्ञा0वि0स0 प्रश्न– 01/2021 1305 /वि0स0, रांची, दिनांक–13/3/21

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेवसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/2021
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

सुभाष

13/3/2021

(165)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त दिनांक 15.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–10 का उत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खोरठा भाषा झारखण्ड के 2 प्रमण्डलों क्रमशः उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना के लोगों की मातृभाषा होने के साथ–साथ झारखण्ड के 24 जिलों में 15 जिलों की पूर्णतः या अंशतः संपर्क भाषा है, तथा खोरठा भाषा झारखण्ड के सबसे बड़े क्षेत्र की आम बोलचाल की मुख्य भाषा है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खोरठा भाषा ऐसी अकेली झारखण्डी भाषा है, जिसका विदेश (बंगलादेश) से भी संबंध है ;	इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना विभाग में संधारित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खोरठा भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?	झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–203, दिनांक–18.11.2011 (प्रति संलग्न) के द्वारा अन्य भाषाओं के साथ खोरठा भाषा भी द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक–राजभाषा / वि0स0–09 / 2021 55 / रा० राँची, दिनांक 04 मार्च, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं प्र0 249 वि. स., दिनांक–24.02.2021 के आलोक में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/03/21

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

166

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एच.इ.सी. भवन, डुरंडा, राँची।

दिनांक–15–03–2021 को श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–80 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता *श्री दीपक बिरूवा* माननीय स०वि०स०		*उत्तरदाता* श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं०–18/2016 एवं 19/2016, दिनांक–01.11.2018 द्वारा मोटरयान निरीक्षक के 18 पदों पर नियुक्त करने हेतु लिखित मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक–03.01.2017 एवं 08.01.2017 को किया गया ;	–	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पुरे राज्य में मात्र 10 एम०वी०आई० हैं, जिनमें मात्र 2 स्थायी तथा शेष संविदा पर कार्यरत है ;	–	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में 11 मोटरयान निरीक्षक कार्यरत है, जिसमें 2 स्थायी रूप से तथा शेष 9 संविदा पर कार्यरत है।
3	क्या यह बात सही है कि आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक–25.03.2017 को प्रकाशित किया गया था ;	–	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद सफल अभ्यर्थियों को बहाल नहीं किया गया ;	–	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा मोटरयान निरीक्षक के पद पर अनुशंसित 11 अभ्यर्थियों का नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी प्रमाण–पत्रों के जाँच सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के उपरान्त विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्रों में त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ निष्कर्षित की गई, जिसके फलस्वरूप परिवहन विभाग के आदेश सं०–136, दिनांक–14.12.2018 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित सभी 11 अभ्यर्थियों का मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति का दावा अमान्य कर दिया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–	अस्वीकारात्मक। कण्डिका–4 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–57/2021 298 /राँची,दिनांक 14/03/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1189, दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/21

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–57/2021 298 /राँची,दिनांक 14/03/2021

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची/संयुक्त सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/21

सरकार के अवर सचिव
परिवहन विभाग।

(167)

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–77 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सशस्त्र पुलिस महिला बटालियन होटवार, रांची महिला आरक्षियों का बंद सवर्ग (Closed Cadre) के रूप में गठित है फिर भी उक्त बटालियन में पुरुष आरक्षी भी कार्यरत है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झा०स०पु०–10(म0वा0), रांची के स्थापना से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं0–106, दिनांक–29.08.2002 में बंद संवर्ग का उल्लेख नहीं है। विभागीय पत्रांक–सं0–8/आ0क0 –1076/04–8785, दिनांक–16.09.2004 के अनुसार महिला एवं पुरूष कर्मियों का अनुपातिक वर्गीकरण के आलोक में इस वाहिनी में 38 पद पुरूष आरक्षी के लिए स्वीकृत है।
2	क्या यह बात सही है कि यद्यपि महिला एवं पुरूष आरक्षियों की वरीयता सूची एक ही है तो वर्ष–2006 में नियुक्ति के पुरूष आरक्षियों को प्रोन्नति देकर उक्त बटालियन X में योगदान करा दिया गया परंतु वर्ष–2004 में नियुक्त महिला आरक्षियों की प्रोन्नति लंबित है ;	अस्वीकारात्मक। इस वाहिनी में वर्ष–2006 में नियुक्त किसी भी आरक्षी ने प्रोन्नति पश्चात् योगदान नहीं दिया गया है। वर्ष 2004 में नियुक्त मात्र 29 महिला आरक्षियों की प्रोन्नति लंबित है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सशस्त्र पुलिस के बटालियन II से X में आरक्षियों का स्थानांतरण एवं प्रोन्नति की जाती है तथा बटालियन X के महिला आरक्षियों की प्रोन्नति नहीं दी जाती है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। आरक्षी की प्रोन्नति हेतु समेकित वरीयता सूची का निर्माण प्रक्रियाधीन है। वर्त्तमान में सरकार द्वारा निर्गत आदेश के द्वारा सभी प्रकार के प्रोन्नति पर रोक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झा०स०पु० X बटालियन के महिला आरक्षियों की प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–08/2021–....1513.../ रॉंची, दिनांक– 15/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1063, दिनांक–07.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\HP\Desktop\Question (Budget) 21.doc 9:31

168

माननीय स०वि०स० श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–66 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 1857 में सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेने वाले वीर कुंवर सिंह की जयंती पर 23 अप्रैल को अखण्ड बिहार में सार्वजनिक अवकाश रहता था;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार के विभाजन के बाद बिहार में आज भी 23 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहता है, परंतु झारखण्ड में अवकाश नहीं रहता है;	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हमारे देश के वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर 23 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–6751 दिनांक–24.12.2020 द्वारा वर्ष 2021 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश अधिसूचित है। वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर 23 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–10/2021 का०– 1560/राँची, दिनांक– 12/03/2021

प्रतिलिपि–उप/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–999 दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/21

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(169)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–74 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 से 2019 के बीच झारखण्ड पुलिस के विशेष शाखा का एक अवैध कार्यालय मुख्यालय में चल रहा था, जहाँ से एक गैर सरकारी व्यक्ति विशेष शाखा की अनधिकृत गतिविधियाँ संचालित कर रहा था और उसे विभाग द्वारा तमाम सुविधायें दी जा रही थी ;	अस्वीकारात्मक। तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के द्वारा माह नवंबर 2017 एवं माह जनवरी 2018 में सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार से लिखित अनुरोध कर विशेष शाखा के कार्य हेतु दो सरकारी भवन माह फरवरी–2018 में आवंटित कराये गये थे, जिनमें से एक भवन में विशेष शाखा का कार्यालय चल रहा था और दूसरे भवन में एक गैर सरकारी व्यक्ति आवासित था। किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा विशेष शाखा की अनाधिकृत गतिविधियाँ संचालित किये जाने के संबंध में कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। उक्त गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा कुछ सरकारी सुविधाओं का उपयोग किये जाने के संबंध में कुछ तथ्य सामने आये हैं, जिनकी समीक्षा पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि ऐसी ही गतिविधियाँ उस समय पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी.) में भी चल रही थी, जहाँ फोन टेपिंग एवं अन्य अनधिकृत कार्य संचालित हो रहा था ;	इस संबंध में डोरण्डा थाना काण्ड संख्या–189/20, दिनांक–18.07.2020 दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान अंतर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि 2020 में विशेष शाखा और सी.आई.डी. में चल रही अवैध गतिविधियों पर सरकार ने रोक लगा दिया, जांच में इसे सही पाया, परंतु दोषियों पर अबतक कार्रवाई नहीं हुई ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विशेष शाखा में अवैध गतिविधि की कोई सूचना नहीं है। इस संबंध में अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा डोरण्डा थाना काण्ड संख्या–189/20, दिनांक 18.07.2020 धारा–166/167 /418/120बी० भा0द0वि0 का अनुसंधान किया जा रहा है। यह काण्ड वर्तमान में अनुसंधान अंतर्गत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुलिस मुख्यालय में अवैध गतिविधियाँ चलाने वालों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–14/2021–1515../ राँची, दिनांक– 15/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1061, दिनांक–07.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

(170)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–94 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बिहार प्रोबेशन सेवा के प्रोबेशन पदाधिकारियों के पदोन्नति के चार पदसोपान है, जबकि झारखण्ड में मात्र दो पदसोपान है ;	बिहार के प्रोबेशन पदाधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में बिहार राज्य से सूचना प्राप्त की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है, कि बिहार प्रोबेशन सेवा के प्रोबेशन पदाधिकारियों (मूल कोटि) को सातवें वेतन आयोग में लेबल–9 का वेतनमान प्राप्त है, जबकि झारखण्ड प्रोबेशन सेवा के प्रोबेशन पदाधिकारियों (मूल कोटि) को सातवें आयोग में लेवल–8 का वेतनमान प्राप्त है ;	झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत प्रोबेशन पदाधिकारी का वेतनमान लेवल–08 है, परन्तु बिहार सरकार में प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनमान की जानकारी प्राप्त की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार के तर्ज पर झारखण्ड प्रोबेशन सेवा के प्रोबेशन पदाधिकारियों (मूल कोटि) के वेतनमान में संशोधन और पदोन्नति के पदसोपानों का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बिहार से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समुचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–14 / 2021–...1518.... / राँची, दिनांक– 15/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1213, दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(171)

श्री लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–86 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कमार–करमाली/बड़ाईक–चिक बड़ाईक/लोहार–लोहरा, गोप–यादव आदि कई जातियां निवास करती हैं;	अंशतः स्वीकारात्मक। कमार, लोहार, गोप, यादव राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में तथा करमाली, चिक–बड़ाईक, लोहरा अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध है। बड़ाईक जाति राज्य के जाति सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि ये जातियाँ एक ही होने के बावजूद खतियान में अलग–अलग जाति अंकित होने के कारण एक ही जाति/एक ही परिवार के लोगों को अलग–अलग जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक के द्वारा समर्पित किए जाने वाले भू–अभिलेख में अंकित जाति राज्य की जिस जाति सूची में सूचीबद्ध हो, उसे उस जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कमार–करमाली/बड़ाईक–चिक बड़ाईक/ लोहार–लोहरा, गोप–यादव आदि जातियों के लोगों के लिए एक परिवार के एक ही जाति के लोगों को एक समान्य प्रमाण–पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–23/2021 का0– 1640 / रांची, दिनांक 13/03/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को दिनांक–15.03.2021 के लिए अल्प सूचित प्रश्न–अ0सू0–86 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2021
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(172)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–*45* का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में ग्रामीण विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर निगम, पथ निर्माण विभाग आदि विभागों में कार्य कराने के लिए अलग–अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कई कार्य एक ही प्रकृति के होते हैं;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक ही रजिस्ट्रेशन पर सभी विभागों में कार्य कराने से संबंधित नियम बनाकर सिंगल विन्डो सिस्टम अपना कर एक ही रजिस्ट्रेशन पर सभी विभागों में कार्य आवंटित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नीतिगत मामला है। सभी विभागों के बीच सहमति के उपरान्त आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02/2021 946(5) राँची/दिनांक : 09/03/21

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 436 दिनांक 26.02.2021 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/2021

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0 11 अ0सू0 02/2021 946(5) राँची/दिनांक : 09/03/21

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/श्री सुधीर कुमार रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/2021

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–02/2021 946(5) राँची/दिनांक : 09/03/21

प्रतिलिपिः– श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत् ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

09/03/2021

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(173)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–61 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड में बाल संरक्षण सोसाईटी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक 997 बच्चे लापता एवं इससे कहीं अधिक मिसिंग के केस दर्ज हुए हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अप्रैल, 2018 से मार्च–2019 के बीच कुल 523 बच्चे लापता हुए, जिसमें कुल 453 बच्चों की बरामदगी हो चुकी है।
2	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2020 जनवरी से नवम्बर 2020 तक 99 बच्चों को राँची रेल मंडल ने रेस्क्यु किया है ;	राँची रेल मंडल रेलवे चाइल्ड लाईन द्वारा 01 जनवरी, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 की समय अवधि के दौरान कुल–110 बच्चों को रेस्क्यु किया गया है।
3	क्या यह बात सही है, कि इन आंकड़ों के आधार पर सरकार बाल तस्करी पर लगाम लगाने में विफल रही है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाल तस्करी पर लगाम लगाने हेतु ठोस उपाय करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा बाल तस्करी की रोकथाम एवं ऐसे बच्चों को रेस्क्यु करने हेतु समेकित तंत्र की स्थापना की गयी है। 1. राज्य में बाल तस्करी की रोकथाम हेतु कुल–27153 ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति, 237 प्रखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं 20 जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित की गयी है। 2. राज्य सरकार द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 2021 बच्चों को विभिन्न बाल गृहों में आवासित कर उनका देखरेख एवं संरक्षण किया जा रहा है। 3. राज्य में गैर संस्थिक व्यवस्था के अंतर्गत 585 बच्चों को स्पॉन्सरसिप प्रोग्राम एवं 25 बच्चों को फोस्टर केयर प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़कर उनके परिवारों को प्रतिमाह रू० 2000 प्रत्येक बच्चे के लालन पालन हेतु प्रति बच्चा की दर से सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है। इस कार्यक्रम को अगले वर्ष से और अधिक विस्तारित की जायेगी। 4. राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में एकीकृत पुर्नवास एवं संसाधन केन्द्र कार्यरत किये गये है, जिनके द्वारा ट्रैफिकिंग हुए बच्चों एवं महिलाओं को रेस्क्यु करवाया जाता है एवं उनके पुर्नवास की कार्रवाई की जाती है। 5. मानव तस्करी के विरूद्ध प्रभावकारी रोकथाम हेतु राज्य के सभी 24 जिलों में एण्टी ह्युमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) अधिसूचित है। इसके अतिरिक्त लापता बच्चों के बरामदगी हेतु सभी जिलों में पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित Special Juvenile Police Unit (SJPU) द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–08/2021–1509/ राँची, दिनांक– 14/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–764, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sanjay 2017\Sec-7\Sanjay Vidhansabha\Chandan 3\Questions (Budget) 21.doc P-78

(145)

श्री भूषण बाड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 75 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुबंध कर्मियों की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजन को पुनः अनुबंध पर नौकरी तथा किसी तरह का मुआवजा राशि मिलने का कोई सरकारी प्रावधान है;	**अस्वीकारात्मक।** राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों/कार्यालयों में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4569 दिनांक 05.07.2002 के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाती है। उक्त संकल्प में राज्य के अनुबंध कर्मियों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजन को पुनः अनुबंध पर नौकरी तथा किसी तरह का मुआवजा राशि मिलने का प्रावधान नहीं है ।
(2.) क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम अथवा ऋण मिलने का भी कोइ सरकारी प्रावधान नही होने के कारण इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है;	**अस्वीकारात्मक।** संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4569 दिनांक 05.07.2002 में राज्य के अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को अग्रिम अथवा ऋण मिलने संबंधित प्रावधान नहीं है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड किसी अनुबंध कर्मी के मृत्यु हो जाने पर अनुबंध पर ही एक आश्रित को अनुकम्पा के रूप में नौकरी देने का प्रावधान लागू करने तथा प्राथमिकता देते हुए राज्य के अनुबंध कर्मिरों की सेवा स्थायी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अनुकम्पा के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 10167 दिनांक 01.12.2015 के प्रावधानानुसार मात्र नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक की मृत्यु पर उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है । अस्थायी / अनुबंध कर्मियों के मामले में अनुकम्पा का लाभ अनुमान्य नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–20/2021...431/वि०५ रॉची/दिनांक: 12/3/2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञाप संख्या 1059/वि०स०, राँची, दिनांक 07.03.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.21

(साधना सिन्हा)
संयुक्त सचिव ।

(176)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–68 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने स्थानीय निवासियों को नियुक्ति में प्राथमिकता हेतु अनुसूचित जिलों से सम्बन्धित अधिसूचना 5938, दिनांक–14 जुलाई 2016 एवं गैर अनुसूचित जिलों से सम्बन्धित संकल्प सं0–3854, दिनांक–01 जुलाई 2018 में आहरण की स्वीकृति दी है;	स्वीकारात्मक। WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूप वादों में दिनांक–21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:– "57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed." उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के शत–प्रतिशत पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के मामले में अभिव्यक्त प्रेक्षण (Observation) विभागीय संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 पर भी सैद्धान्तिक तौर पर समान रूप से लागू होने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) को तत्काल प्रभाव से आहरित किया गया। अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 के आहरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त आहरण से समूह "ग" एवं स "घ" में अनारक्षित पदों पर राज्य के युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता नहीं मिलेगी;	अस्वीकारात्मक। संकल्प सं0–9567, दिनांक–11.11.2016 द्वारा अन्य सभी मामलों में समानता (All things being equal) होने पर झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला स्तर में समूह "ख" में अराजपत्रित तथा समूह "ग" एवं समूह "घ" के पदों पर स्थानीय निवासियों की नियुक्ति हेतु नियोजन नीति बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–20/2021 का0–1531/ रांची, दिनांक 10/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–1003 वि0स0, दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०)
सरकार के अवर सचिव।

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स० द्वारा दिनांक –15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०– अ०सू०–71 का उत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में भुईया, मुसहर, रजवार, तुरी, घासी, मिर्धा, नट, स्वासी, दबगर, धोबी, भोगता, पासी अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। मिर्धा अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जाति के लोग आज भी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। विभाग के द्वारा इनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु निम्न योजनाएँ संचालित हैं :– 1. छात्रवृति योजना– (क) प्री–मैट्रिक (ख) पोस्ट–मैट्रिक 2. साईकिल योजना 3. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 4. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 5. चिकित्सा सहायता योजना 6. विधिक सहायता योजना 7. अनु० जाति/अनु० जनजाति अत्याचार निवारण योजना 8. छात्रावास योजना 9. विशेष केन्द्रीय सहायता–अनुसूचित जाति उप योजना 10. कौशल विकास योजना 11. आय संवर्धन एवं आजीविका विकास योजना 12. सस्ते दर पर अनुदान सहित ऋण योजना इसके अतिरिक्त 23 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि नीति आयोग के परामर्श से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निरंतर नीतिगत कदम उठाने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी आज तक उक्त जाति के लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है;	अस्वीकारात्मक। विभागान्तर्गत संचालित उपरोक्त योजनाओं के द्वारा इन्हें आच्छादित करते हुए इनके कल्याण एवं विकास हेतु कार्य किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पड़ोसी राज्य बिहार के तर्ज पर उक्त जातियों को महादलित वर्ग में शामिल करने एवं महादलित आयोग का गठन कर इनका सर्वांगीण विकास का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में अंकित योजनाओं के माध्यम से इनका सर्वांगीण विकास किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 06/वि०स०अल्प०सू०–02/21– 739 राँची, दिनांक– 12/3/21

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 1001, दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Kumari 12/03/21

(वन्दना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

178

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–43 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का घोषणा किया गया था;	अस्वीकारात्मक। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की सरकार की घोषणा से संबंधित कोई अभिलेख कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में उपलब्ध नही है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार गठन के 01 साल बीत जाने के बाद भी स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण नहीं दिया गया;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 द्वारा राज्य के 13 जिलों तथा संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 द्वारा राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की कालावधि के लिए संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर संबंधित जिले के मात्र स्थानीय निवासी ही भरती हेतु पात्र होने का प्रावधान किया गया था। WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूप वादों में दिनांक–21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:– "57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed." उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के शत–प्रतिशत पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के मामले में अभिव्यक्त प्रेक्षण (Observation) विभागीय संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 पर भी सैद्धान्तिक तौर पर समान रूप से लागू होने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) को तत्काल प्रभाव से आहरित किया गया।
3	यदि उपर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 75% आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–14 / 2021 का०– 1383 / रांची, दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–438 वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2021

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(179)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–57 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि विभागीय पत्रांक–5974, दिनांक–23.11.20 के तहत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं0–21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति करने का मंतव्य था,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि पत्रांक–1044, दिनांक–18.02.21 के तहत पुनः उक्त आदेश आहरित किया गया, जबकि न तो न्यायालय, न ही कैबिनेट ने गैर अनुसूचित जिला में 2016 की नियुक्ति पर रोक लगायी है;	अंशतः स्वीकारात्मक। SLP No.-12490/2020 सत्यजीत कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा SLP No.-14485/2020 झारखण्ड राज्य बनाम सोनी कुमारी का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहने के कारण प्राप्त विधिक मन्तव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक–1044, दिनांक–18.02.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञान सं0–21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए विभागीय पत्रांक–5974, दिनांक–23.11.2020 को आहरित किया गया है।
3	यदि उपर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विज्ञापन सं0–21/2016 के आधार पर गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–16/2021 का०–1452 /रांची, दिनांक 05/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–768 वि0स0, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/2021

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(180)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त गोड्डा ने पत्रांक–660 दिनांक–15.07.2014 द्वारा दिनांक–19.06.2014 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में उपस्थापित उग्रवादी हिंसा में मारे गये कुल 18 नागरिकों के अभिलेख की प्रति संलग्न करते हुए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु स्पष्ट निर्देश की मांग की गई है। जो मुख्यालय स्तर से वर्तमान समय तक लंबित है ;	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–660, दिनांक–15.07.2014 के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–1487, दिनांक–12.03.2021 द्वारा मार्गदर्शन संसूचित कर दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त गोड्डा द्वारा पत्रांक–600 दिनांक–15.07.2014 द्वारा सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग राँची को भेजे गये पत्र में हुबहु अंकित किया है कि कतिपय सुत्रों से पता चला है कि अन्य जिलों में दिनांक–15.11.2000 के पूर्व की घटनाओं में उग्रवादी हिंसा में मारे गये मृत नागरिकों के आश्रितों को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी प्रदान की गयी है ;	राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–3002, दिनांक–08.11.2001, संकल्प संख्या– 423, दि०–16.02.2006, 2279, दि०–07.05.2003 तथा 369, दिनांक–24.01.2008 झारखण्ड राज्य गठन की तिथि (दिनांक–15.11.2000) के उपरांत घटित मामलों को आच्छादित करता है। स्पष्ट है कि उक्त तिथि के पूर्व घटित ऐसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई भी परिपत्र/संकल्प प्रभावी नहीं है। उपायुक्त को उनके पत्र में उल्लेखित इस तरह नौकरी पाने वालों के संबंध में स्पष्ट नाम तथा उग्रवादी घटना के विवरणी के साथ प्रतिवेदन मांगा गया है। 2. राज्य के सभी उपायुक्त से भी एतद्‌विषयक जानकारी राज्य गठन की तिथि (15.11.2000) से पूर्व की उग्रवादी घटना में मृत नागरिकों के किसी आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान की गयी हो तो इस संबंध में घटना/मृतक एवं आश्रित की विवरणी के साथ प्रतिवेदन की मांग विभागीय ज्ञापांक–1487, दिनांक–12.03.21 द्वारा की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोड्डा जिले सहित राज्य के सभी जिलों में 15.11.2000 के पूर्व उग्रवादी हिंसा में मारे गये नागरिकों के आश्रितों को चिन्हित कर सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रपत्र/संकल्प राज्य गठन की तिथि (15.11.2000) से प्रभावी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०(02)–03/2021–...1514.../ राँची, दिनांक– 14/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–231, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec 7\Sandeep Vidhansabha\Chamber Questions (Budget) 21.doc P-18

(18)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–73 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दिये जाने का फैसला सरकार ने लिया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत या दिव्यांग हुए (40 % से ज्यादा) आंदोलनकारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी।
2	क्या यह बात सही है, झारखण्ड आंदोलनकारी को चिन्हित करने के लिए झारखण्ड वनांचल चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त आयोग के पास आंदोलनकारियों की पहचान के लिये 60,000 से अधिक आवेदन आये जिनमें से मात्र 5000 की पहचान की जा सकी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। आयोग में झारखण्ड आंदोलनकारियों की पहचान हेतु 60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त है, जिनमें अभी तक 4065 (चार हजार पैंसठ) झारखण्ड आंदोलनकारियों की पहचान की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड वनांचल चिन्हितीकरण आयोग का पुर्नगठन कर आंदोलनकारियों की पहचान और उन्हें समुचित लाभ दिये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	दिनांक–25.02.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में चिन्हितीकरण आयोग के गठन एवं झारखण्ड आंदोलनकारियों / आश्रितों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के निमित निम्नांकित प्रावधानों की स्वीकृति प्रदान की गयी है :– (i) आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु सेवानिवृत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया जायेगा। आयोग के सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। (ii) पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत या दिव्यांग हुए (40 % से ज्यादा) आंदोलनकारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। (iii) राज्य सरकार द्वारा अन्य आंदोलनकारियों के मामले में एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में 5% (पाँच प्रतिशत) का क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार देय होगा। (iv) कारा में संसीमित आंदोलनकारियों को उनके जीवनकाल एवं मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को जीवनकाल तक सम्मान पेंशन निम्नरूपेण दिया जाएगा :– (a) कारा में तीन माह से कम संसीमित रहने पर 3,500/– (तीन हजार पाँच सौ रूपये) प्रतिमाह। (b) कारा में तीन माह से छः माह के बीच संसीमित रहने पर 5,000/–(पाँच हजार रूपये) प्रतिमाह। (c) कारा में छः माह से अधिक संसीमित रहने पर 7,000/–(सात हजार रूपये) प्रतिमाह।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–714/2021–1501/ राँची, दिनांक– 13/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1062, दिनांक–07.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan Ji\Questions (Budget) 21.doc P-74

182

श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं.– 58 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार केन्द्र के पत्रांक No. 21/5/2017-E.II(B) New Delhi दिनांक 07.07.2017 के अनुरूप कर्मियों को हू–ब–हू परिवहन भत्ता का भुगतान कर रही है;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** (1) योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प संख्या 737/वि. दिनांक 27.03.2018 द्वारा भारत सरकार के पत्रांक No. 21/5/2017-E.II(B) New Delhi दिनांक 07.07.2017 में अंकित प्रावधान के अनुरूप राज्य के सरकारी सेवकों को निम्नरूपेण परिवहन भत्ता अनुमान्य किया गया है :–

Employees drawing pay in pay level	Rates of Transport Allowance per month	
	Employees posted in 'X' Cities	Employees posted in 'Y' Cities
9 and above	Rs. 7200 + DA thereon	Rs. 3600 + DA thereon
3 to 8	Rs. 3600 + DA thereon	Rs. 1800 + DA thereon
1 and 2	Rs. 1350 + DA thereon	Rs. 900 + DA thereon

शहरों का 'X' एवं 'Y' Cities के रूप में वर्गीकरण उनके आबादी के अनुसार निम्नरूपेण किया गया है :–

'X' Cities- 50 लाख या उससे अधिक की आबादी

'Y' Cities- 5 लाख से 50 लाख तक की आबादी

'Z' Cities- 5 लाख से कम की आबादी

भारत सरकार के OM. No. 2/5/2014-E.II(B) New Delhi दिनांक 21.07.2015 द्वारा जनगणना 2011 के आधार पर झारखण्ड राज्य अंतर्गत राँची, जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो को 'Y' Cities के रूप में तथा नई दिल्ली अवस्थित झारखण्ड भवन में कार्यरत सरकारी सेवकों के लिए दिल्ली को 'X' Cities के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) भारत सरकार के पत्रांक No. 21/5/2017-E.II(B) New Delhi दिनांक 07.07.2017 द्वारा Level-14 एवं उपर के पदाधिकारियों के लिए परिवहन भत्ता रु. 15750 + DA अनुमान्य किया गया है जबकि योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प संख्या 737/वि. दिनांक 27.03.2018 द्वारा Level-9 एवं उपर के पदाधिकारियों के लिए परिवहन भत्ता 'X' Cities के लिए रु. 7200 + DA तथा 'Y' Cities के लिए रु. 3600 + DA तथा अनुमान्य किया गया है।

(3) भारत सरकार के पत्रांक No. 21/5/2017-E.II(B) New Delhi दिनांक 07.07.2017 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए परिवहन भत्ता दिनांक 01.07.2014 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है जबकि योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प संख्या 737/वि. दिनांक 27.03.2018 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों के लिए परिवहन भत्ता 01.04.2018 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है।

(2.) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार, भारत सरकार के No. 21/5/2017-E.II(B) New Delhi दिनांक 02.07.2017 जिसमें यह वर्णित है कि जिन सरकारी कर्मियों Level-1 & 2 का सातवें वेतन में न्यूनतम वेतनमान 24200/– रुपये या इससे उपर है का परिवहन भत्ता 1800 + DA है, को हू–ब–हू लागू न करते हुए संशोधित रूप में 900 + DA परिवहन भत्ता का ही भुगतान कर रही है;	स्वीकारात्मक।
(3.) क्या यह बात सही है कि केन्द्र के पत्रांक No. 21/5/2017-E.II(B) New Delhi दिनांक 02.07.2017 के आलोक में झारखण्ड राज्य के वैसे कर्मियों जिनका Level-1 & 2 में न्यूनतम वेतन 24200/– या उस से उपर है के द्वारा परिवहन भत्ता, केन्द्र सरकार के अनुरूप लागू करने हेतु अनुरोध/आवेदन पत्र समर्पित किया है।	स्वीकारात्मक।
(4.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भारत सरकार के उक्त पत्रांक No. 21/5/2017-E.II(B) New Delhi दिनांक 02.07.2017 में वर्णित परिवहन भत्ता को हू–ब–हू स्वीकार करते हुए 1800 + DA को लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	केन्द्र सरकार के उक्त OM.No. 21/5/2017-E.II(B) New Delhi दिनांक 02.08.2017 के पश्चात् राज्य के सीमित संसाधन के परिप्रेक्ष्य में योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प संख्या 737/वि. दिनांक 27.03.2018 द्वारा Level-1 एवं Level- 2 के कर्मियों को Y Cities के लिए परिवहन भत्ता की दर 900 + DA अनुमान्य करने का निर्णय लिया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–11/2021....423/वि०

रॉंची/दिनांक: 12/3/2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञाप संख्या 762/वि०स०, राँची, दिनांक 02.03.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.21

(साधना सिन्हा)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

183

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–78 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का राजमहल विधान सभा क्षेत्र गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है तथा दो राज्यों प० बंगाल एवं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, जो राज्य व देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान–सभा क्षेत्र से अन्तर्राष्ट्रीय बांग्लादेश की सीमा महज 30–40 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है, जहाँ आए दिन नाव के सहारे गंगा नदी पार कर पश्चिम बंगाल के रास्ते अपराधियों द्वारा घुसपैठ कर असामाजिक एवं असंवैधानिक कार्य की जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राजमहल विधानसभा क्षेत्र की सीमा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है तथा इसके बाद बांग्लादेश की सीमा है। विगत दिनों में नाव के सहारे गंगा नदी पार कर घुसपैठ का दृष्टांत सामने नहीं आये हैं।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में अपराधियों द्वारा गंग बरार इलाकों में अपराधियों की संरक्षण में अफीम की खेती कर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का धंधा चलाया जाता है ;	अस्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र में अन्य राज्यों, यथा महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आन्ध्रप्रदेश एवं दिल्ली की पुलिस द्वारा गंगा स्थित मध्य दियारा क्षेत्र में छापेमारी की जाती रही है ;	स्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित राजमहल विधान–सभा क्षेत्र में सेना/अर्द्धसैनिक बल की एक स्थायी कैम्प स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति राजमहल विधान–सभा क्षेत्र में सेना/अर्द्धसैनिक बल की स्थायी कैम्प स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स०–05/2021–1243/ रॉंची, दिनांक– 14/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1192, दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\home\Desktop\Questions (Budget) 21.doc P-60

(165)

345
12/03/2021

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–76 की उत्तर सामग्री:–

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदेश कुमार महतो माननीय सदस्य विधानसभा	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है, कि पिछले साल तीन मार्च को (वित्तीय वर्ष 2020–21) का बजट पेश करते हुए सरकार ने स्नातक पास बेरोजगारों को सलाना पांच हजार रूपये और स्नातकोत्तर पास बेरोजगार को सलाना सात हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी, साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 146 करोड़ रूपया का प्रावधान भी किया गया था;	सरकार के द्वारा चालू बजट सत्र में दिनांक–05.03.2021 को तारांकित प्रश्न संख्या–श्र०नि०–03 द्वारा सदृश्य मामले में उत्तर दिया गया है। (प्रति संलग्न)।
2.	क्या यह बात सही है, कि यह योजना दो साल के लिए है और बजट में घोषणा के बाद एक रूपया भी अबतक बेरोजगारों को नहीं मिला है;	
3.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में स्नातक और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों की संख्या पाँच लाख है, जिन्होंने नियोजनालय में अपना नाम निबंधित कराया है और तमाम कोशिशों के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली है;	
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेरोजगारों को हर महीने सात हजार बेरोजगारी भत्ता या नौकरी देने की विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	

12/03/2021
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–21/2021श्र०नि०–345 राँची, दिनांक– 12/03/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–1060, दिनांक–07.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/03/2021
सरकार के अवर सचिव।

E:\Sen\Prem Bhagat\Vidhan Sabha\03-21-2021.docx

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–श्र०नि०–03 की उत्तर सामग्री :–

तारांकित प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है कि राज्य के नियोजनालयों में लाखों युवाओं के नाम दर्ज है जिन्हें अबतक सरकार द्वारा नियोजित नहीं किया गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
(2)– यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	राज्य के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित वैसे शिक्षित बेरोजगार, जो किसी भी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़े हो एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हों, को 01 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में नियत राशि उपलब्ध कराने हेतु नई योजना "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

ज्ञापांक :–5/स्था०(नि०)वि०स०–6002/2021– 201 (नि०) राँची, दिनांक :– 03/03/2021

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं०–प्र० 549, वि०स० राँची, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–88 का उत्तर प्रतिवेदन। (186)

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि घटवार/घटवार एवं तैली जाति के लोगों का रहन–सहन, खान–पान, भाषा, संस्कृति, अनुसूचित जनजातिय आदिवासी के सदृश है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य मंत्रिपरिषद् ने घटवार/घटवाल एवं तैली को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी गयी है;	अंशतः स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–6336, दिनांक–08.12.2004 द्वारा कतिपय जातियों के साथ घटवार/घटवाल एवं कोल्ह (तेली) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने सम्बन्धी राज्य सरकार की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गयी है। भारत सरकार के द्वारा उक्त जातियों के संबंध में सामाजिक, आर्थिक एवं प्रजातिय स्थिति पर आधारित प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घटवार/घटवाल एवं तैली जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 5685, दिनांक–18.07.2019 द्वारा घटवाल/घटवार जाति को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में समाविष्ट करने के संबंध में स्पष्ट मन्तव्य के साथ अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से किया गया है। वांछित प्रतिवेदन प्रतिक्षित है। तैली/कोल्ह तैली जाति के संबंध में डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन का निष्कर्ष निम्नवत है – "निष्कर्षतः उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कोल्ह तेली या तेली जाति/समुदाय को अनुसूचित जनजाति के संवर्ग में रखना समुचित नहीं जान पड़ता है।"

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–24/2021 का0–1639/ राँची, दिनांक 13/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को दिनांक–15.03.2021 के लिए अल्प सूचित प्रश्न–अ0सू0–88 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2021
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(87)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो के पिण्ड्राजोड़ा थाना क्षेत्र के गिरधर टांड (ओझाडीह) से 16.10.2020 से एक नाबालिग युवती सुश्री सेजल झा उर्फ पाखी कुमारी, पिता–श्री राम कृष्ण झा, लापता है, जिसके संबंध में पिण्ड्राजोड़ा थाना कांड संख्या–161/2020 दर्ज है, लेकिन अभी तक पुलिस उक्त लापता युवती का पता नहीं लगा पाई है ;	स्वीकारात्मक। वादी रामकृष्ण झा, पि0–स्व0 दुर्गा प्रसाद झा, ग्राम–गिरधरटांड, ओझाडीह, थाना–पिण्ड्राजोरा, जिला–बोकारो ने अपनी पुत्री के लापता होने के संदर्भ में लिखित आवेदन पर पिण्ड्राजोरा थाना काण्ड संख्या–161/2020, दिनांक–16.10.2020 धारा–363/34 भा0द0वि0 दर्ज की गई है। पुत्री से संबंधित सामग्री एक लेडिज साईकिल, चप्पल और कॉपी किताब घटना स्थल से बरामद किया गया है। काण्ड में संलिप्त अभियुक्तों का सत्यापन/गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पायी है। काण्ड में एस0आई0टी0 गठन कर पेशेवर तरीके से अपहृता की बरामदगी का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।
2	बोकारो में ही चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत ब्रह्मण द्वारिका पंचायत के शंकरगढ़ा में दिनांक 20.01.2021 को एक युवती का गड्ढे में शव प्राप्त हुआ था, जिसका पैर का हिस्सा उक्त गड्ढे से प्राप्त हुआ है तथा शेष शव का हिस्सा एक बोरी में प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक उक्त युवती के शव की शिनाख्त नहीं हुई है और न ही घटना के कारणों का पता चल सका है एवं न ही इस कांड का उद्भेदन अब तक हो सका है ;	स्वीकारात्मक। वादी चौकीदार 2/9 विदेशी दुसाध, पिता–स्व0 दर्शन दुसाध, ग्राम–डंडावत, थाना–चास (मु0), जिला–बोकारो के फर्दबयान पर थाना काण्ड संख्या–07/2021, दिनांक–20.01.2021 धारा–302/201 भा0द0वि0 के अर्न्तगत अज्ञात अपराध कर्मी के विरूद्ध दर्ज किया गया है। अज्ञात महिला शव का शिनाख्त नहीं हो पायी है एवं काण्ड के अभियुक्त अज्ञात अपराध कर्मी का पता लगाने का हरसंभव प्रयास एवं तकनीकी सहायता ली जा रही है। काण्ड के प्रतिवेदित होने के उपरांत उस अज्ञात महिला शव का पहचान एवं काण्ड उद्भेदन हेतु घटना स्थल पर सी0आई0डी0 के विशेष टीम द्वारा जाँच किया गया है एवं घटना स्थल पर पाया गया संदिग्ध प्रर्दशों का अंगुलांग जाँच कराया गया है, साथ ही महिला शव का पोस्टमार्टम एवं भेजाइन्नल जाँच कराया गया है। श्वान दस्ता के सहयोग से घटना स्थल पर पाये गए संदिग्ध प्रर्दशो का विधिवत खोज कराया गया है। काण्ड का उद्भेदन हेतु तकनीकी सहायता ली गई है। शव के शिनाख्त हेतु शव का डी0एन0ए0 सैम्पलिंग करा कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची भेजा गया है तथा सी0आई0डी0 प्रकाशन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है एवं जिले के विभिन्न थानों से विगत 02 माह में लापता महिला का ब्योरा मंगा कर विश्लेषण किया गया है।
3	क्या यह बात सही है इसी प्रकार विगत 2 वर्षों में झारखण्ड के विभिन्न जिलों में कई ऐसे अपराध सामने आए है (छायाप्रति संलग्न) जिसमें अब तक हत्या के आरोपियों का पता नहीं चल सका है और कई मामलो में तो यह भी नहीं पता चला है कि उक्त मृत्यु आत्महत्या थी अथवा हत्या एवं उक्त कांड का उद्भेदन करने में पुलिस अब तक असफल रही है ;	प्रश्न में उल्लेखित एक मामले में गिरफ्तारी तथा दो काण्डों में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित की गई है तथा अन्य अपराधिक मामले अनुसंधान अंतर्गत है। जिसके उद्भेदन के लिये पेशेवर तरीके से उद्भेदन का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखित आपराधिक मामलों के संबंध में विस्तृत विवरणी संबंधित जिलों से प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार सभी काण्डों के अनुसंधान की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है:– (i) बोकारो जिला के चास (मु0) थाना अंतर्गत ब्राहम्णद्वारिका में शव दिनांक–21.01.2021 को बोकारो जिला के बेरमो थाना अंतर्गत करगली गेट के पास झाड़ी के समीप रेलवे लाईन के बगल में बरामद अज्ञात शव के संबंध में बेरमो थाना काण्ड संख्या–17/2021, दिनांक–21.01.2021, धारा–302/201 भा0द0वि0 वादी स0अ0नि0 पंकज कुमार भारद्वाज, बेरमो थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में अज्ञात शव की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ बिट्टे, पि0–स्व0 माखन सिंह, सा0–सुभाश नगर, दुर्गा मंदिर के नजदीक, थाना–बेरमो के रूप में की गयी। अबतक के अनुसंधान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या में मृतक के परिजनों की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है। काण्ड वर्तमान में अनुसंधान अंतर्गत है। (ii) हजारीबाग मेडिकल की छात्रा स्व0 पूजा भारती की हत्या के संबंध में पतरातू थाना काण्ड संख्या–06/2021, दिनांक–12.01.2021, धारा–364/302/ 201/34 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। अबतक के अनुसंधान, पर्यवेक्षण, साक्षियो के ब्यान, अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट, जप्त विभिन्न प्रदर्शों, तकनीकी विश्लेषण एवं एफ0एस0एल0 रिपोर्ट से मृतिका के साथ Sexual assult होने या उसकी हत्या होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है। अभी तक अनुसंधान से यह एक आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। फिर भी अंतिम रूप से निर्णय लेने के पूर्व कुछ बिन्दुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। (iii) रातु थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्री संजय झा के 06 वर्षीय पुत्र स्व0 हिमांशु कुमार के गुमशुदगी के संबंध में रातू थाना काण्ड संख्या–43/2020, दिनांक–07.02.2020, धारा–363 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। उपरोक्त बच्चे का शव बरामद होने के पश्चात् प्राथमिकी की धारायें 302/201 भा0द0वि0 के रूप में परिवर्तित की गयी। अनुसंधान के दौरान काण्ड में अप्राथमिक अभियुक्त (i) मनोज कुमार राय, पि0–इन्दर राय एवं (ii) सुनिता देवी, पति–मनोज कुमार राय, दोनों सा0–नावासोसो घटकपुर, थाना–रातू, जिला–राँची के विरूद्ध सत्य पाया गया है। प्रथम अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक–09.03.2021 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष

कृ0पृ0उ0.......

		है। उपरोक्त गिरफ्तारी तथा फोरेन्सिक रिपोर्ट प्राप्त करने इत्यादि हेतु काण्ड लंबित है। (iv) महावीर प्रसाद माहेश्वरी तथा उनके परिवार के 05 अन्य सदस्यों के शव उनके खजाँची तालाब, हजारीबाग से पाये जाने के संबंध में हजारीबाग (सदर) थाना काण्ड संख्या–346/2018, दिनांक–15.07.20158, धारा–302/ 306/120बी0/34 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मौके पर 06 विभिन्न जगहों से लिफाफे में बन्द Suicide Note मिले थे। मामले का अनुसंधान वर्तमान में अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जा रहा है। C.F.S.L कोलकता से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने सहित कुछ अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान लम्बित है। (v) दिनांक–09.12.2018 को डोरण्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा घाघरा के पास नामकुम रोड से अज्ञात पुरूष का शव बरामदगी के मामले में डोरण्डा थाना काण्ड संख्या–289/2018, दिनांक–19.12.2018, धारा–302/201 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। मृतक की पहचान अमित जोसेफ टोपनो, पे0–मार्शल टोपनो, सा0–निचितपुर, थाना–रनिया, जिला–खूँटी के रूप में की गयी है। हत्या के संबंध में अभी तक कोई लाभदायक सूत्र प्राप्त नहीं हो सका है। अज्ञात अभियुक्त का पता करने तथा अन्य तकनीकी बिन्दुओं पर काण्ड वर्तमान में अनुसंधान अंतर्गत है। (vi) दिनांक–07.07.2018 को लालपुर थाना क्षेत्र के शिव प्रसाद का शव बरामद हुआ, जिस संबंध में मृतक के पिता वादी दिनानाथ प्रसाद के फर्दब्यान के आधार पर लालपुर थाना काण्ड संख्या–242/2018, दिनांक–07.07.2018, धारा–302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। वादी द्वारा मामले में ससुराल पक्ष के ससुर विजय प्रसाद एवं ससुराल पक्ष के अन्य लोगो पर संदेह व्यक्त किया गया, जिस संबंध में अबतक अनुसंधान में ससुराल पक्ष के विरूद्ध कोई साक्ष्य प्राप्त नही हुआ है। काण्ड वर्तमान में अनुसंधान अंतर्गत है। (vii) दिनांक–14.02.2014 को बुण्डू थाना क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात महिला का अधजला शव की बरामदगी के संबंध में वादी चौकीदार सुखराम लोहरा के फर्दब्यान के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मी के विरूद्ध हत्या कर साक्ष्य छिपाने के नियत से शव को जलाने के आरोप में बुण्डू थाना काण्ड संख्या–20/2014, दिनांक–15.02.2014, धारा–302/201/34 भा0द0वि0 प्रतिवेदित कराया गया। यह काण्ड अप0अनु0 विभाग, झारखण्ड, राँची को हस्तांतरित किये जाने के उपरान्त काण्ड में अंतिम प्रतिवेदन संख्या–21/2020, दिनांक–23.05.2020, धारा–302/201/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सत्य सूत्रहीन समर्पित किया जा चुका है। (viii) अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू, सहजानंद चौक के समीप एक विवाहित का शव बरामद किया गया, जिस संबंध में वादी विपिन चौधरी, पे0–सुखदेव चौधरी, सा0+पो0+थाना–कुडू के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. बबन चौधरी, 2. मीना देवी, 3. विकाश कुमार, 4. पिंकी, 5. रेखा कुमारी एवं 6. आदर्श कुमार, सभी सा0+थाना–विक्रमगंज, जिला–रोहतास, बिहार के विरूद्ध आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाना काण्ड संख्या–250/2020, दिनांक–08.09.2020, धारा–306/34 भा0द0वि0 एवं 04 दहेज निरोध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के संबंध में साक्ष्य प्राप्त नहीं होने की कमी दिखाते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक जनहित में राज्य के विभिन्न जिलों का उदभेदन हेतु सीबीआई से जांच करवाते हुए दोषियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–06/2021–...1245.../ राँची, दिनांक– 14/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–223, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(186)

श्री बसंत सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–82 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र० सं०	प्रश्नकर्त्ता श्री बसंत सोरेन, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि खलिहानों में आग लगने पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में खलिहानों में आग लगने की घटना प्रायः होती रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में मात्र धनबाद जिला से खलिहान में आग लगने का मामला जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खलिहानों में आग लगने पर प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा राशि प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–32-7/2014-NDM-I, दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि संबंधी मद एवं मापदण्ड में खलिहानों में आग लगने पर मुआवजा का प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–7/आ0प्र0 (विधायी) 10/2021–183 /आ०प्र०, राँची, दिनांक–13-3-2021

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2021

(अमरेश कुमार नीरज),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0प्र0 (विधायी) 10/2021–183 /आ०प्र०, राँची, दिनांक–13-3-2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/2021

सरकार के अवर सचिव।

D:/Vidhansabha Related letters/2A

(184)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–63 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में बढ़ी हुई साईबर क्राईम एवं ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन की चुनौती बन गई है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि राज्य में साईबर क्राईम की घटनाओं में दोषियों के विरुद्ध कठोर सजा एवं संपत्ति जब्त करने का कानून न होने के कारण साईबर अपराधी भयमुक्त है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है, कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनकी सम्पत्ति जब्त करने हेतु कठोर कानून बनाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है ;	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा साईबर अपराधियों की सम्पत्ति जप्त करने हेतु राज्य सरकार को कठोर कानून बनाने का निर्देश नहीं दिया गया है, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा झारखण्ड राज्य में साईबर अपराधियों को अपराध में प्राप्त धन की बरामदगी एवं अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जप्ती हेतु उठाये गये कदम के संबंध में शपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साईबर अपराधी का सम्पत्ति जब्त करने हेतु कोई कठोर कानून लाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिस द्वारा साईबर अपराध की घटनाओं की रोकथाम एवं उद्भेदन हेतु कुशलता से कार्रवाई की जा रही है। आम जनता में साईबर क्राइम के Modus Operandi की जानकारी देते हुए साईबर जागरूकता फैलायी जा रही है। साईबर थाना के सृजन से पीड़ित को साईबर काण्ड अंकित कराने में सुविधा हुई है। साथ ही साईबर थाना के Pro-active प्रयास एवं विशेष अभियान के कारण इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में बढ़ोतरी हुई है। साईबर क्राइम के रोकथाम एवं अनुसंधानकर्त्ता की क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु देश एवं राज्य के सक्षम प्रशिक्षण केन्द्रों में समय–समय पर प्रशिक्षण करायी जाती है। सम्प्रति साईबर अपराधी का सम्पत्ति जब्त करने हेतु कठोर कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स०(10)–04/2021–...1236../ राँची, दिनांक– 15/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–765, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Question (Budget) 15-03-21.doc P-60

श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स० द्वारा दिनांक 15.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–48 की उत्तर सामग्री :–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 2004 से नियुक्त पदा०/कर्म० को पुराने पेंशन व्यवस्था से वंचित रखा गया है;	स्वीकारात्मक । वित्त विभागीय पत्रांक सं० 518 दिनांक 09. दिसम्बर 2004 द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त झारखण्ड सरकारी सेवकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू है ।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2004 से झारखण्ड सरकार में नियुक्त पदा०/कर्म० को अंशदायी पेंशन योजना के तहत् राशि की कटौती की जा रही है;	स्वीकारात्मक । दिनांक 01 दिसम्बर, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन+अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के कुल योग का 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती की जाती है तथा समतुल्य राशि नियोक्ता अर्थात झारखण्ड सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जाती है ।
3.	क्या यह बात सही है कि अंशदायी पेंशन योजना के तहत् सेवानिवृत्त कर्म०/पदा० को अल्प पेंशन निर्धारित कर भुगतान किया जा रहा है	न्यू पेंशन योजना हेतु नियामक संस्थान पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पी०एफ०आर०डी०ए०) का अधिसूचना सं० 12/आर०जी०एल०/139/8 दिनांक 11.05. 2015 के अनुसार अधिवर्षिता (Superannuation) की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप संचित धन में से कम से कम 40 प्रतिशत अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध हेतु वार्षिकी (Annuity) करने के लिए उपयोजित किये जाने का प्रावधान है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुराने पेंशन योजना शीघ्र लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक । राज्य सरकार की पेंशनदेयता बढ़ रही है एवं राज्य के मौजूदा राजस्व का बहुत बड़ा अंश पेंशन भुगतान में ही चला जाता है । वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार के कुल व्यय का 8.5 प्रतिशत पेंशन मद में खर्च हुआ था । राज्य

		सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए भी यह सही नहीं है । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में अंशदायी पेंशन का विकास इसी कारण किया गया है । जिसे लगभग सभी राज्यों ने लागू किया है । अतः नई पेंशन योजना को बन्द कर के पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

झारखण्ड सरकार

<u>योजना सह वित्त विभाग</u>

—::—

ज्ञापांक :– 10/वि0स0(4)–12/2021 ....५५/वि.पे. रांची दिनांक 12/03/2021

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

12/3/2021

(अमरेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची ।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–87 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शस्त्र पुलिस विज्ञापन सं०–02/2011 में JAP-2 से JAP-9 तक 1020 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाली गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 2015 में प्रकाशित प्रथम मेधा सूची में चयनित कुल 1020 अभ्यर्थियों में से लगभग 700 अभ्यर्थियों ने अपना योगदान दे दिया है ;	विज्ञापित 1020 पदों के विरूद्ध 864 चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान किया गया।
3	क्या यह बात सही है कि 700 अभ्यर्थियों के योगदान करने के पश्चात जैप के सफल अभ्यर्थियों के द्वारा उनकी उम्र सीमा को देखते हुए शेष बचे 320 रिक्त पदों के विरुद्ध द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग की जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विज्ञापित 1020 पदों के विरूद्ध 156 चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा योगदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप उक्त विज्ञापन के तहत 156 पद रिक्त रह गयी। द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित किया जाना विचाराधीन नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जैप के सफल अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को देखते हुए द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुलिस मुख्यालय, झारखंड, राँची का आदेश ज्ञापांक–3466/पी०, दिनांक–04.12.2015 के द्वारा यह निदेश निर्गत है कि "विभागीय आरक्षी नियुक्ति नियमावली– 2014 अधिसूचित होने के पूर्व झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिला/इकाई/वाहिनी में आरक्षी बहाली हेतु निर्गत सभी विज्ञापनों एवं उससे संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को कालबाधित मानते हुए उक्त विज्ञापनों के तहत प्राप्त नियुक्ति सम्बंधी अभ्यावेदनों पर अब किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।" साथ ही आरक्षी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०–02/2011 के पश्चात् विज्ञापन सं0 सं0–04/15 के माध्यम से झारखण्ड सशस्त्र पुलिस के विभिन्न वाहिनियों के आरक्षी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। सम्प्रति विज्ञापन सं०–02/2011 के तहत द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित किया जाना विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–09/2021–1516../ राँची, दिनांक– 14/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1194, दिनांक–10.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sandeep Vidhansabha\Chandan Ji\Questions (Budget) 21 doc P-89

(192)

श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–95 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य वित्त अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारियों का बेसिक पे–ग्रेड 4200/– रुपया मात्र है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि सप्तम वेतनमान में खण्ड–1 में निहित पदाधिकारियों को केन्द्र एवं बिहार राज्य के पदाधिकारियों का वेतनमान पे–ग्रेड 4600/– रुपया है;	अस्वीकारात्मक। केन्द्र सरकार अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अधीन अंकेक्षक के पद पर वेतनमान PB-I, GP-2800 (Level-5) में नियुक्ति की जाती है तथा बिहार राज्य अन्तर्गत भी अंकेक्षक संवर्ग में अंकेक्षक के पद का वेतनमान PB-I, GP-2800 (Level-5) है, जबकि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अंकेक्षक संवर्ग में वरीय अंकेक्षक (मूल कोटि) वेतनमान PB-II, GP-4200 (Level-6) के पद पर नियुक्ति की जाती है।
(3) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य वित्त अंकेक्षण सेवा के पत्रांक–04, दिनांक–28.10.2020 के द्वारा वेतन विसंगति दूर कर पे ग्रेड–4200/– से बढ़ाकर 4600/– रुपया करने के लिए पदाधार किया गया है;	झारखण्ड वित्त अंकेक्षण सेवा संघ के पत्रांक 04 दिनांक 28.10.2020 द्वारा ज्ञापन समर्पित किया गया है।
(4) क्या यह बात सही है कि विभागीय मंत्री एवं पदाधिकारी के लापरवाही के कारण खण्ड–3 में निहित पत्र पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार अपने सेवी वर्ग को केन्द्र सरकार के अनुरूप वेतनमान स्वीकृति हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमत है। केन्द्र सरकार में इस संवर्ग में 'अंकेक्षक' के पद पर वेतनमान PB-I 5200-20200, GP-2800 (Level-5) में सीधी नियुक्ति होती है। झारखण्ड राज्य में इस संवर्ग में PB-II 9300-34800, GP-4200 में सीधी नियुक्ति होती है, जो पूर्व से ही केन्द्र सरकार द्वारा अंकेक्षक पद के लिये स्वीकृत वेतनमान से अधिक है। PB-II 9300-34800, GP-4200 से GP-4600 किये जाने की मांग इस संवर्ग के अतिरिक्त अनेक पर्यवेक्षकीय/निरीक्षक संवर्ग द्वारा की गई है। कुछ मामलों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद भी दायर है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने कतिपय मामलों को उच्च स्तरीय समिति जो न्यायालय के आदेश से ही गठित है, को विचार करने हेतु निर्देशित किया है। यह एक ऐसा मामला है, जिसका प्रभाव अन्य विभिन्न संवर्गों पर भी पड़ने की प्रबल संभावना है। इस मामले में सरकार विभिन्न पहलुओं पर समुचित विचार करते हुये अध्ययन कर समुचित निर्णय लेगी।

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्त अंकेक्षण सेवा के पदाधिकारियों का बेसिक पे ग्रेड–4200/– (चार हजार दो सौ) से बढ़ाकर 4600/– (चार हजार छः सौ) करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड–4 के अनुसार।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–23/2021 45/वि.वि. रॉची/दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉची के ज्ञाप संख्या 1212/वि०स०, रॉची, दिनांक 10.03.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.21
(साधना सिन्हा)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची।

(193)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–40 का उत्तर प्रतिवेदन : –

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि पलामू, चाईबासा और हजारीबाग जिला को मिलाकर उपराजधानी बनाया जायेगा।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि सरकार गठन के 01 साल बीत जाने के बाद भी घोषणा पर राज्य सरकार के द्वारा कोई पहल अब तक नहीं किया गया।	प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा विचारोपरांत इसे स्थगित रखा गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पलामू, चाईबासा और हजारीबाग जिला को मिलाकर उपराजधानी बनाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

सं० संख्या–म०म०स०–05 / अ०सू०प्र०–40–09 / 2021 337 राँची, दिनांक 12 मार्च, 2021 ई०।

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–430, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव

(194)

श्रीमती ममता देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–67 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की कुल आबादी का लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ी जातियों की होने के बावजूद इन्हें मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है ;	अंशत स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) को 08 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को 06 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने खण्ड 01 में वर्णित पिछड़ी जाति को 50 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की अनुशंसा की है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नही लिए गए है;	अंशत स्वीकारात्मक। राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार हेतु समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि देश के अन्य प्रांत जैसे–तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से उपर अर्थात् 69 प्रतिशत है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ओ.बी.सी. समुदाय को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

झापांक–14/झा0वि0स0–07–19/2021 का०– 1532 / रांची, दिनांक 10/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–1002 वि0स0, दिनांक–05.03.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव रंजन)
सरकार के अवर सचिव।